जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

छेड़खानी व गैर-इरादतन के अभियोग में 1 अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे एफटीसी, सीएडब्ल्यू कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

थाना कोटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/21 धारा 452/354/323/504/506/304 भादवि के अभियुक्त 1. अनिल पटेरिया पुत्र संतोष पटेरिया मु0 नरसिंह जी कस्बा व थाना कोटरा जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे एफटीसी, सीएडब्ल्यू कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 संजय
कुमार कोर्ट मुहर्रिर



हे0का0 हरिश्चन्द्र
कोर्ट पैरोकार

@jalaunpolice